न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
012/2024(रा.अ.) (GCMS 2024/128)	17.07.2024	26.03.2025

अनवान

श्रीमती शांति देवी पत्नि ओमप्रकाश जाति कोठारी उम्र वयस्क निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती रतनी देवी पत्नि कन्हैयालाल जाति हजूरी उम्र वयस्क निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. श्रीमती रीना कंवर पत्नि करण सिंह जाति राजपुत(चुण्डावत) उम्र वयस्क निवासी सुवावा तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थीगण

–:: अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं बंटवाडा आदेश न्यायालय तहसीलदार, बस्सी बमिसल क्रमांक/राजस्व/2022/8 निर्णय एवं बंटवाडा आदेश दिनांक 06.06.2022 मौजा घोसुण्डी तहसील बस्सी के नामान्तरकरण संख्या 1490 दिनांक 10.07.2022 ::–

उपस्थिति :– छोगालाल जाट — अपीलार्थी
अमित नाहर — प्रत्यर्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय तहसीलदार बस्सी बमिसल क्रमांक/राजस्व/2022/8 निर्णय एवं बंटवाडा आदेश दिनांक 06.06.2022 पेश कर निवेदन किया कि मौजा घोसुण्डी पटवार हल्का घोसुण्डी तहसील बस्सी की आराजी संख्या 1592/1804 रकबा 3.24 हैक्टेयर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण की संयुक्त खातेदारी के संबंध में अधीनस्थ तहसीलदार बंटवाडा दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.06.2022 न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया, एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 की और से उनके अधिवक्ता दिनांक 14.08.2024 को हाजिर जाये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के दिनांक 23.10.2024 को बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से प्रत्यर्थी संख्या 1 की अनुपस्थिति रिकार्ड की गई। प्रत्यर्थी संख्या 3 की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। दिनांक 23.10.2024 को प्रत्यर्थी संख्या 2 की और से जवाब मियाद प्रार्थना–पत्र एवं लिखित बहस पेश की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अधीनस्थ तहसीलदार बस्सी के पत्र क्रमांक/भू0अ0/2024/919 दिनांक 25.07.2024 से न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा मूल अभिलेख पत्रावली प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 19.03.2024 को अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने जवाब स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में बहस पत्रावली उभयपक्षकारान सुननी गई।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा सर्वप्रथम मियाद प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित निर्णय एवं बंटवाडा आदेश की जानकारी अपीलार्थी जो कि गृहणी है, नही हो पाई। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.05.2024 को हल्का पटवारी हुई, उसी दिन प्रत्यर्थी संख्या 3 से पारित निर्णय एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की, तत्पश्चात् विधि सलाहकार से राय प्राप्त कर अपील अपीलार्थीया अन्दर मियाद पेश है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र में जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार बस्सी के यहां स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति से व स्वीकृति से ग्राम घोसुण्डी में स्थित संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेयाबी की आराजी बंटवाडा विभाजन किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पत्र अपीलार्थीया स्व्यं के फोटो व हस्ताक्षर अंकित है। तहसीलदार बस्सी ने विकध के अनुसार आपसी सहमति एवं स्वीकृति के विभाजन आवेदन स्वीकार कर सभी खातेदारों के मध्य उनके हक व हिस्से अनुसार विभाजन का आदेश दिनांक 06.06.2022 को पारित कर भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया। राजस्व रेकार्ड में विभाजन एवं नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थीया को दिनांक 06.06.2022 एवं 10.07.2022 से है। लगभग 2 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया। प्रार्थी ने जानबूझ कर असत्य अभिवचन कर बिना उचित व सम्भाव्य कारण का उल्लेख कर यह अपीला न्यायालय के समक्ष 30 दिन की अवधि व्यतीत होने के उपरांत प्रस्तुत की है। अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरस्तनीय है। अपीलार्थीया ने विलम्ब की अवधि को कण्डोन किये जाने हेतु कोई उचित व सम्भाव्य कारणों का उल्लेख नहीं किया है, ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुती में हुई देरी का उचित कारण नहीं होने से मियाद काबिल कण्डौन नहीं है और अपील बेरून मियाद होने से खारीज योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया तथा गुप्त रूप से प्रक्रिया संचालित की गई। विभाजन आदेश पारिवारिक बंटवाडा दिनांक 06.06.2022 के विपरित होकर एक तरफा मनमाना है व गुपचुप तरीके से जारी किया गया है इसलिए अपीलार्थी को इसकी पूर्व में जानकारी नहीं हो सकी इसलिए जानकारी होते ही प्रार्थी ने अपील प्रस्तुत की है इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाना आवश्यक है। आवेदन देरी को क्षम्य कराने हेतु शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना–पत्र अपीलार्थी का आवेदन मंजूर फरमा कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को विस्तारित (क्षम्य) किये जाने का आदेश प्रदान करावे। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र बाबत् मियाद अधिनियम समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्रों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना–पत्र का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। हस्तगत प्रकरण को मियाद के साथ–साथ गुणावगुण पर भी देखा जाना उचित प्रतीत होता है, अतः पत्रावली को गुणावगुण पर सुनने के आदेश दिये गये।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस पत्रावली में अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि तहसीलदार बस्सी प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 ने मिली भगत कर अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवा मौजा घोसुण्डी की खाता संख्या 37 में संयुक्त खातेदारी में दर्ज कृषि आराजी नंबर 1592/1804 रकबा 3.24 हैक्टेयर भूमि जो संयुक्त खातेदारी में जर्द रेकार्ड है, आपसी विभाजन हेतु सहमति पत्र के साथ प्रस्तुत किया, जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 3 ने हल्का पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर कब्जे अनुसार रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आदेश पारित कर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किया जाने योग्य है।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थीया संख्या 1 व 2 के नाम पर आपसी सहमति एवं स्वीकृति से दिनांक 06.06.2022 में कृषि भूमि का विधिवत रूप से तहसीलदार बस्सी के यहां विभाजन कराया। विभाजन उपरांत अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीया एवं प्रत्यथी संख्या 1, 2 के राजस्व रेकार्ड में अंकित हक हिस्से के अनुसार विभाजन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विभाजन आदेश एवं नामान्तरकरण की कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई वैधानिक गलती नहीं है। राजस्व रेकार्ड में विभाजन के अनुसार नक्शें में रद्धोबदल किया। विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कराया एवं बताया कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने संयुक्त रूप से उपस्थित होकर आपसी सहमति से विभाजन अंकित कर प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसकी ताईद प्रत्यर्थी संख्या 3 के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2022 से भी होती है। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के आवेदन एवं नक्शा ट्रेस पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है, एवं वर्तमान में इसी अनुसार विभाजन होकर राजस्व रेकार्ड पर अंकन है। इसके विधि के अनुसार विभाजन की कार्यवाही में भूमि की चौडाई एवं संकडाई के अनुसार विभाजन किये जाने का कोई प्रावधान नहीं होकर खातेदार के हक हिस्से अनुसार विभाजन किया जाना प्रावधित है। अपीलार्थीया ने प्रस्तुत अपील में आधारहीन तथ्यों का उल्लेख कर सारहीन अपील प्रस्तुत की है जो निरस्तनीय है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि विवादित कृषि आराजीयात अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 के सह खातेदारी में दर्ज रेकार्ड सही है उसी अनुसार विवादित कृषि आराजी संख्या 1592/1804 रकबा 3.24 हैक्टेयर का पक्षकारान द्वारा आपसी बंटवारा कर काबिज होकर मौखिक बंटवाडा से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है, फिर भी पटवारी हल्का ने आराजी संख्या 1592/1804 के नक्शे को संकडा बताते हुये तरमीम कर दिया जिससे आपसी विभाजन से मौके की स्थिति में व नक्शें में रद्धोबदल आ जाता है व प्रत्यर्थी संख्या 02 का रकबा अपीलार्थीया की आराजीयात में आ जाता है, जबकि आराजी नम्बर 1592/1804 का नक्शा पूर्व की तरफ चौडा व पश्चिम कर तरफ संकडा रहा है, नक्शे के अनुसार बंटवाडा नहीं होने से प्रत्यर्थी संख्या 2 का कब्जा अपीलार्थीया के बंटवाडे में आयी आराजीयात में आ जाता है। जिससे अधीनस्थ प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपीलार्थीया व प्रत्यर्थी संख्या1, 2 की ओ से आपसी विभाजन पत्र जो प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष पेश किय उसके विपरित बंटवाडा आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किया जाने योग्य है, अन्त में प्रार्थना की गई कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश सहमति बंटवाडा पत्र दिनांक 06.06.2022 व उक्त बंटवाडा आदेश से स्वीकृति नामान्तरकरण संख्या 1490 दिनांक 10.07.2022 निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। पत्रावली का वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ''**क्या अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा निर्णय दिनांक 06.06.2022 में किसी प्रकार से विधिक भूल/त्रुटि कारित की गई है?, यदि हॉ तो उचित निर्णय क्या होगा?**''

हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया।

इसके साथ ही उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उक्त सहमति विभाजन के संबंध में कॉलम संख्या 'अ', 'ब' एवं 'स' आराजी संख्या एवं रकबे के स्पष्ट विवरण के साथ दिशा अंकित की गई है, जिसके संबंधित कॉलम में पक्षकार के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित की गई है। उक्त आवेदन के कॉलम संख्या 'स' में अपीलार्थीया के हस्ताक्षर एवं फोटो अंकित है। इसके साथ ही विभाजन हेतु प्रस्तावित नक्शा ट्रेस पर उभयपक्षकारान के हस्ताक्षर इस तथ्य की पुष्ठि करते है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव बाबत् उभयपक्ष सहमत रहे है। इसके साथ ही आवेदन–पत्र में अंकित हल्का पटवार रिपोर्ट अनुसार खातेदार कृषकों की आपसी रजामंदी होने से तथ मूल खाते में दर्ज समस्त कृषकों की विभाजन–पत्र में होने से विभाजन स्वीकार योग्य है। स्पष्ट अंकित किया गया है एवं यह तथ्य उपरांकित संयुक्त हस्ताक्षरों से प्रमाणित है। उक्त रिपोर्ट पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त बस्सी द्वारा दिनांक 06.06.2022 को ही प्रमाणिकरण किया गया है। जिस पर तहसीलदार बस्सी द्वारा स्वीकृत दिनांक 06.06.2022 को प्रदान की गई है। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में इस तथ्य को उठाया गया है कि नक्शें की चौडाई एवं संकडाई में भिन्नता आ गई है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस के अवलोकन से जाहिर होता है कि विभाजन से कायम किये जाने वाले नवीन खाते में प्रत्येक खातेदारान के विभाजित होने वाली भूमि एक चकबंदी ही है, तथा इसके नक्शें में किसी भी प्रकार से कोई बेतरतीबी प्रतीत नहीं होती है, इसके साथ ही उक्त नक्शें से यह तथ्य भी प्रतिवेदित होता है कि उक्त आराजीयात के विभाजन के संबंध में अधीनस्थ तहसीलदार बस्सी द्वारा हस्तगत विभाजन किये जाने में किसी भी प्रकार से विभाजन नियमों की किसी भी प्रकार से कोई अनदेखी/त्रुटि कारित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने से यह तथ्य प्रतिवेदित होता की अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.06.2022 में किसी भी प्रकार से कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की गई है, जिससे अपील अपीलार्थी सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है तथा आदेश दिनांक 06.06.2022 में किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होकर संपुष्ट किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हस्तगत प्रकरण में मियाद प्रार्थना–पत्र पर निर्णय पारित किया जाना शेष है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.06.2022 को जानकारी होना अवगत कराया है, एवं निर्णय दिनांक 06.06.2022 की जानकारी नहीं होने के संबंध में अपीलार्थीया द्वारा कोई ठोस अभिवचन/कारण प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि हस्तगत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.06.2022 पर अपीलार्थीया के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया द्वारा अपील जानकारी में आये जाने के उपरांत भी विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जिसके संबंध में किसी भी प्रकार से कोई अभिवचन प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया द्वारा अपील प्रस्तुती में विलम्ब को क्षम्य किये जाने का कोई ठोस आधार अपीलार्थीया पत्रावली पर प्रस्तुत करने में पूर्णतया असफल रहे है। इसके साथ ही उपरांकित विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलार्थीया गुणावगुण पर भी बलहीन एवं सारहीन पाई गई है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलाधीन आदेश/निर्णय दिनांक 06.06.2022 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार से कोई विधिक/वैधानिक भूल/त्रुटि कारित नहीं किये जाने से अपील अपीलार्थी बलहीन एवं सारहीन होने से खारीज की जाती है एवं मौजा घोसुण्डी पटवार हल्का घोसुण्डी तहसील बस्सी के खाता संख्या 037 के सहमति विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2022 की पुष्ठि की जाती है।

पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के तहसीलदार बस्सी को भिजवाया जावे एवं तहसीलदार बस्सी को निर्णय की प्रति वास्ते सूचनार्थ भिजवाई जावे। तद्नुसार अभिलेखों में अंकन किया जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **26.03.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official